प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः /सात–3/कुक्कुट/PETA/2019–20 दिनांकः 28.02.2020

विषयः **उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय में अनचाहे चूजों (मुर्गी के बच्चों) को अमानवीय और गैर कानूनी तरीकों से मारे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि डा0 मणिलाल वलियाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, People for the Ethical Treatment of Animal (PETA), इण्डिया के पत्र दिनांक 12 फरवरी–2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होनें प्रदेश में कुक्कुट पालकों/हैचरी द्वारा अमानवीय, क्रूर एवं गैर कानूनी ढंग से मुर्गियों के बच्चों को मारने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का अनुरोध है। (छायाप्रति संलग्न)

प्रश्नगत प्रकरण में उन्होनें अवगत कराया है कि प्रत्येक वर्ष हैचरियों में उत्पादित लाखों अनचाहे चूजे, बीमार चूजे अथवा अंग विकृति के साथ पैदा चूजों को बेकार समझकर क्रूर अमावनीय तरीको से मार दिया जाता है।

चूजों को इस तरह से मारना प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट–1960 ("PCA ACT") की धारा–11 के विभिन्न प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है व दण्डनीय अपराध है एवं उन्होनें अनुरोध किया है कि अनचाहे चूजों को मारने के लिए अपनाई जा रहे उपरोक्त अवैध एवं क्रूर प्रथाओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा इसके लिए AWBI और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानून एवं मानवीय तरीको को अपनाया जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपदों में संचालित हैचरीज/कुक्कुट पालन केन्द्रों पर अवैध और क्रूर प्रथाओं के उपयोग पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया जाय व इसको कड़ाई से रोका जाय। अनचाहे चूजों को मारने में AWBI और भारत में विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानून एवं मानवीय तरीकों को अपनाया जाय तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करायें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

पत्रांकः 2128 /सात–3/कुक्कुट/PETA/2019–20 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 मणिलाल वलियाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, People for the Ethical Treatment of Animal (PETA) को उनके ईमेल के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने अधीनस्थ जनपदों में संचालित हैचरीज/कुक्कुट फार्मो का निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास